फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

पप्पो देवी बनाम बृजलाल वगै0

किस्म मुकदमा- दावा बाबत बंधक उन्मोचन

पीठासीन अधिकारी- यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

मु0नं0 20 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/03/24	दावा वादीया अधिवक्ता श्री रामकिशन शर्मा द्वारा पेश किया गया। दावा वादीया दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया तथा अधिवक्ता बनवारीलाल सैनी द्वारा दावा स्वीकार करने बाबत सहमति प्रदान की गई। वादीया अधिवक्ता के निवेदन पर बहस दावा सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि ग्राम जयसिंहपुरा तह0 सिकराय जिला दौसा मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 1734 रकबा 0.15 है0, ख0न0 1737 रकबा 0.10 है0 की खातेदारी में कम संख्या 2 पर अंकित खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार का हिस्सा 1/4 व उक्त खातेदार की भूमि मे प्रतिवादी संख्या 2 राहिन पक्षकार दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 द्वारा मिलकर उनके हिस्सा संपूर्ण 1/4 की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 11.01.2024 के माध्यम से किया गया है। लेकिन भूमि मे राहिन दर्ज होने के कारण नामान्तकरण दर्ज नहीं हो सका है इसलिए विवादित भूमि में दर्ज बृजलाल के हिस्से 1/4 की हद तक राहिन पक्षकार का नाम हजफ कर वादीया के नाम नामान्तकरण दर्ज किया जावे। बहस वादीया अधिवक्ता का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं जवाब दावे का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राहिन दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। विवादित भूमि के हि0 1/4 के संबंध में प्रतिवादी बृजलाल एवं अशोक कुमार द्वारा उप पंजीयक सिकराय के समक्ष उपस्थित होकर जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र वादिया को किया गया है। विकय पत्र के पृष्ठ संख्या 4 पर प्रतिवादी अशोक कुमार द्वारा मुर्तहीन के स्थान पर वादीया के नाम से भूमि का अमल दरामद करवाने बाबत सहमति होना जाहिर किया गया है। तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 क में भी प्रावधान है कि अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात किया गया और राजस्थान अभिधृति, संशोधन अध्यादेश 1975 के प्रारम्भ की तारीख को विद्यमान किसी भूमि का कोई भोगबंधक बंधक विलेख मे वर्णित कालावधि या उसके निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष के जो भी कालावधि पहले पूरी हो, समाप्त होने पर बंधककर्ता द्वारा बिना किसी संदाय के पूर्णरूपेण उन्मोचित समझा जायेगा। इसलिए दावा वादिया स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः दावा वादीया स्वीकार कर ग्राम जयसिंहपुरा तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1734 रकबा 0.15 है0, ख0न0 1737 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2500 है0 में खातेदार बृजलाल पुत्र रामहेत हि0 1/4 की हद तक राहिन मुक्त दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार खातेदार बृजलाल के हि0 1/4 की हद तक की भूमि को राहिन मुक्त दर्ज करे। तहसीलदार सिकराय को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	